संख्या-22/2022/ 77-3002(003)/5/2022 /001-817

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक जून, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 मे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 40000.00 लाख की स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 649/यूपीडा/बुन्देलखण्ड-बजट/2022 दिनांक 02.06.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 77525.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 57525.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 40000.00 लाख की स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक “5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-06-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना -24 वृहद निर्माण कार्य'' में रू0 77525.00 लाख का प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष शासनादेश सं0-13/2022/001-478-77-3-2022 दिनांक 21.04.2022 द्वारा रू0 20000.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी। सम्प्रति धनराशि रू0 57525.00 लाख अवशेष है। उक्त प्राविधानित अवशेष धनराशि में से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु धनराशि रू0 40000.00 लाख (रू0 चार सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते में जमा की जायेगी।

(2) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माणकर्ताओं को उनकी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय महालेखाकार कार्यालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त आय व्ययक अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं- 15/2021/ बी- 1-

829/ दस- 2021-231/2022 दिनांक 30.12.2021, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक-29 मार्च 2022 एवं शासनादेश सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 मे द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,00,00,00,000 (रुपये चार अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 5054033370600 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by अनिल कुमार
Date: 21-06-2022 14:14:05
Reason: Approved

(अनिल कुमार),
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

<u>संख्या-22 **/2022/ 77-3002(003)/5/2022 /001-817, तद् दिनांक।**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
6. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेन्टक सिस्टम।
9. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार),
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।